(6)

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक खन्ना, आई०ए०एस०(प्रशिक्षु)

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/19
तारीख रज्जू 13.02.2017

01– बनवारीलाल पुत्र स्व0 श्री बदरी पौत्र स्व0 श्री गब्दू
02– विजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बदरी पौत्र स्व0 श्री गब्दू
03– राम प्रसाद पुत्र स्व0 श्री बदरी पौत्र स्व0 श्री गब्दू
04– कमला पुत्री स्व0 श्री बदरी पौत्र स्व0 श्री गब्दू
जातियान जाट निवासीयान ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

01– भूपी पुत्र स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू, जाति जाट
02– श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू, जाति जाट
03– रामखिलाडी पुत्र स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू, जाति जाट
04– रतनलाल पुत्र स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू, जाति जाट
05– रामजति पुत्र स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू, जाति जाट
निवासियान ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर
06– सोमोती पुत्री स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू पत्नि कुन्दन, जाति जाट
07– केसर पुत्री स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू पत्नि रामखिलाडी, जाति जाट
08– सुफेदी पुत्री स्व. श्री सूरजमल पौत्र मंगू पत्नि नेतराम, जाति जाट
निवासियान ग्राम डोली खेडी, तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

–असल प्रतिवादीगण

09– सुन्दरलाल पुत्र स्व0 श्री बदरी पौत्र गब्दू, जाति जाट, निवासी ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–तरतीबी प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89,188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र जेरदफा–212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:55:53 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक [illegible].02.2020

वादी ने एक वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र [illegible] 212 प्रस्तुत किया गया जिसका सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर, जिसका साबिक खसरा नंबर 433 से बना है तथा 433 का साबिक खसरा नंबर 164 मिन था, जो ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। वादीगण के बुजुर्ग ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में रहते थे। वादीगण के दादा गब्दू पुत्र भब्बड थे, जिनका एक मात्र पुत्र बदरी था, जो वादीगण के पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण की माता धर्मा का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

अपने पिता बदरी के विधिक वारिसान है। वादीगण के दादा गब्दू अपनी पत्नि के मौत हो जाने के बाद ग्राम खेडकी खडका बहुबिला से एक औरत करके लाये, जिसका नाम चंपा था। चंपा पूर्व में विवाहिता थी, जिसका पति मंगू था, जो मर गया था। चंपा के साथ उसके पूर्व पति मंगू से पैदा एक लडका सूरजमल था, जो अपनी माँ के साथ गैलड आया था। वादीगण के दादा गब्दू ने ग्राम निठारी की अपनी खातेदारी की 37 बीघा 08 बिस्वा आराजी में से जरिये रजिस्टर्ड हिबैनामा दिनांक 08.08.1957 के द्वारा 18 बीघा आराजी सूरजमल को दे दी थी तथा शेष 19 बीघा 08 बिस्वा आराजी अपने पास रख ली थी। जिस हिबैनामा का नामान्तरण संख्या 130 दिनांक 30.05.1958 भी दर्ज करवाकर रिकॉर्ड में सूरजमल पुत्र मंगू जाट के नाम अमल जमाबंदी संवत 2014 एवं जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में करवा दिया गया, जो खसरा नंबर 163 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 277 रकबा 9 बीघा व 460/324 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किता 03 कुल रकबा 18 बीघा है, हिबैनामा के पश्चात वादीगण के दादा गब्दू के पास शेष आराजी खसरा नंबर 130/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 140/2 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, 164 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 295 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 326/1 रकबा 06 बीघा, 328 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा रह गई, जिसका अमल जमाबंदी संवत 2014 व जमबंदी संबत 2015 से 2018 में दर्ज है, संवत 2020 के बंदोबस्त में प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल पुत्र मंगू ने बंदोबस्त कर्मचारियों से मिलकर अपने पिता का नाम मंगू के स्थान पर गब्दू दर्ज करवा लिया और वादीगण के दादा गब्दू पुत्र भम्बड की शेष बची 19 बीघा 08 बिस्वा आराजी में से साबिक खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा को भी नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया और गब्दू का नाम हटवा दिया, जिसको बंदोबस्त संवत 2020 में बने नये नंबर 433 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा में शामिल करवा लिया, जिसका हाल बंदोबस्त नया खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर बना है, जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल के नाम संवत 2020 में बंदोबस्त कर्मचारियों ने 18 बीघा के बजाय पर 19 बीघा 13 बिस्वा आराजी अपने पिता का नाम बदलवाते हुए दर्ज करवाली तथा वादीगण के दादा गब्दू की आराजी 19 बीघा 08 बिस्वा को कम करवाकर 18 बीघा दर्ज करवादी। इस तरह गब्दू की 1 बीघा 11 बिस्वा जीम को सूरजमल ने नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि बंदोबस्त कर्मचारियों को साबिक रिकॉर्ड को ही दोहराना चाहिए था किन्तु बिना किसी आदेश वो डिक्री के गब्दू की 1 बीघा 11 बिस्वा आराजी के सूरजमल के नाम दर्ज कर दिया और सूरजमल के पिता का नाम भी मंगू के बजाय गब्दू दर्ज कर दिया, जो इन्द्राजात सरासर गैरकानूनी, बिला अधिकार वो गलत है। जबकि मौके पर सूरजमल का कब्जा 18 बीघा पर ही अपने जीवनकाल तक रहा और सूरजमल के मरने के बाद उसके वारिसान असल प्रतिवादीगण का कब्जा भी मौके पर केवल 18 बीघा पर ही है। जबकि वादीगण को कब्जा अपने पिता वो दादा के जीवनकाल से पूरे 19 बीघा 08 बिस्वा पर बदस्तूर मौके [illegible] विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार किसी तरह का नहीं है बल्कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का कब्जा [illegible] अपने पिता एवं दादा गब्दू के जीवनकाल से बदस्तूर बरकरार मौके पर चला आ रहा है। विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नही है न उनका कभी कब्जा रहा है। दिनांक 26.11.2016 को असल प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत पैदा की और जाहिर किया कि विवादित आराजी हमारे नाम है और हम इससे तुम्हें बेदखल करके अपना कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:55:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करेंगे और विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन, बैय, हिबा आदि के मुन्तकिल व मकफूल करेंगे। आराजी वादीगण की बुजुर्गाना दादालाई की आराजी है। किन्तु वाद के निस्तारण में काफी समय लगेगा तथा दौरान दावा असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करने पर एवं विवादित आराजी को दीगर लोगों को मुन्तकिल वो मकफूल करने पर उतारू है। यदि असल प्रतिवादीगण अपने उक्त बेजा मकसद में सफल हो गये तो वादी गण को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। वाद का प्रयोजन निष्फल हो जायेगा। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में आयद व साबित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा असल प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर वाके ग्राम निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर से वादीगण को जबरन बेदखल नही करे न विवादित आराजी को दीगर लोगों को जरिये रहन, बैय, हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल करे, न वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा करे व विवादित आराजी की मौके की स्थिति को यथावत रहने दे एवं बाज आवें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाव पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा ग्राम निठारी के रहने वाले है। गब्दू पुत्र भब्बड के एक पुत्र बदरी ही नही बल्कि बदरी व सूरजमल दो पुत्र थे। वादीगण ने वाद पत्र के शीर्षक में प्रतिवादीगण को मंगू का पौत्र व पौत्री गलत अंकित किया है। जिससे वादीगण की बदयान्ति साफ जाहिर होती है, वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी बदरी के विधिक वारिस है। प्रतिवादी सूरजमल के पुत्र व पुत्री है और गब्दू के पौत्र व पौत्री है। गब्दू ने अपनी पत्नि का देहान्त होने के पश्चात मंगू की विधवा पत्नि चंपा से गब्दू पुत्र भब्बड से घरवासा कर लिया और बतौर पत्नि वो गब्दू के पास रहने लग गयी। जिस वक्त चंपा ने गब्दू के साथ घरवासा किया उस वक्त वो अपने साथ मंगू से पैदा हुए किसी भी लडके व लडकी को गब्दू के घर नहीं लायी। गब्दू के नुक्ते से चंपा ने सूरजमल को जन्म दिया, इस प्रकार गब्दू के दो लडके बदरी व सूरजमल हुये। सूरजमल चंपा के साथ गैलड नहीं आया। सूरजमल ने गब्दू से उसकी खातेदारी की आराजी जरिये हिब्बेनामा खरीद की है, जिसका नामांतरण सूरजमल के नाम अंकित हुआ। सूरजमल अशिक्षित व्यक्ति था। सूरजमल के पिता गब्दू ने विक्रय पत्र में यदि हिब्बेनामा लिखा दिया और सूरजमल के पिता गब्दू के स्थान पर मंगू लिखा दिया तो वो बदरी व गब्दू की साज बाज से लिखा गया है। सूरजमल के वास्तविक पिता का नाम गब्दू है। बदरी व सूरजमल खास भाई है। गब्दू ने 19 बीघा 13 बिस्वा जमीन सूरजमल को दी थी और गब्दू ने ही राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सूरजमल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अंकित कराया है। साबिक खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर सूरजमल ने नाजायज रूप से अपने नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं कराया। बल्कि उसके पिता गब्दू पुत्रने राजस्व व बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर अंकित कराया है। जिसमें सूरजमल पुत्र गब्दू [illegible] नही रही है। इस बात की जानकारी सूरजमल के भाई बदरी को थी, संवत 2020 से 50–55 साल व्यतीत होने तक बदरी ने कोई कार्यवाही दुरूस्ती नही की। विवादित आराजी बदरी के हिस्से की थी तो बदरी को इसका एतराज करना चाहिए था। बदरी ने अपने जीवनकाल में कोई उज्र नहीं किया। बदरी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:55:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

वारिसान को बंदोबस्त विभाग के द्वारा किये गये इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का कोई हक व अधिकार नही है। आराजी खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर पर वादीगण का कोई विवाद नही है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण विवादित आराजी से गैर काबिज वो गैर वास्ता शख्स है। तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काबिज है। वादीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में हाल खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर साबिक खसरा नंबर 433 से बना तथा खसरा नंबर 433 का साबिक खसरा नंबर 164 मिन अंकित किया है। साबिक खसरा नंबर 433 व 164 मिन का कितना रकबा है वाद पत्र में अंकित नही किया है। वादीगण शुद्ध हस्त से प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया है। जबकि साबिक खसरा नंबर 164 मिन का कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ही है जिसे वादी 1 बीघा 11 बिस्वा क्लेम करते हुए मांग रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा.8 के पिता सूरजमल है तथा सूरजमल के पिता का नाम गब्दू है। वादीगण ने सूरजमल के पिता का नाम मंगू गलत अंकित किया है। बंदोबस्त संवत् 2051 के मिलान क्षेत्रफल से हाल खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर का रकबा मिलान नहीं खाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षों के अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की गयी:–

1. RRD 1988 PAGE-337
2. RRD 2017 PAGE- 343
3. RBJ(8) 2000 PAGE- 170
4. RRD 1980 PAGE- 48-49
5. RRD 1983 PAGE- 64-70

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है प्रार्थना पत्र वादी खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण की ओर निम्न नजीर पेश की गयी:–

1. RRD 1994 PAGE- 607-609

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन करने व अभिभाषकगणों की बहस का मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2015–18 में सूरजमल पुत्र मंगू जाट के नाम खसरा नं. 163 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 277 रकबा 9 बीघा, 460 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा दर्ज है एवं साबिक खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा गब्दू पुत्र भब्बड के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल के नाम बंदोबस्त संवत 2020 में बने नये खसरा नं. 433 में पुराने नंबर 164 रकबा 11 बिस्वा को शामिल किया गया है। जिसका बंदोबस्त [illegible] में नया खसरा नंबर 1073 रकबा 39 ऐयर कायम किया है तथा सम्वत 2020 [illegible] सूरजमल के पिता का नाम मंगू के बजाय गब्दू दर्ज [illegible] है कि प्रस्तुत RBJ(8) 2000 नजीर -

SETTLEMENT – Settlement department must repeat [illegible] previous entries made in the revenue record.

"It is an established principle of law that Settlement Department has no such right to change the entries, they have to repeat the previous entries made in the revenue record as it is. The trial court has correctly

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:55:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

appreciated the legal implication involved in the case after appreciation the evidence led by the parties." यह नजीर उक्त प्रकरण में चस्पा होती है।

संवत् 2020 में बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया है एवं आराजी खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा को सम्वत् 2020 में कायम नये खसरा नं. 433 में शामिल करते हुए प्रतिवादी के पिता सूरजमल के नाम दर्ज किया है। इसके अलावा सूरजमल के पिता का नाम गब्दू दर्ज किया है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में साबिक प्रविष्टि को चैंज करने का कोई अधिकार नही है जबकि राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व प्रविष्टियों को दोहराना चाहिए था। प्रथम दृष्टया केस, वादी के पक्ष में पाये जाते है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो दौरान दावा विवादित आराजी को बेचान होने पर प्रार्थी के अधिकार का हनन हो सकता है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में है।

अतः आदेश दिये जाते है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.02.2017 को ताफैसला दावा स्थाई (Absolute) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:55:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner